-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2011 में थाना बबेरु क्षेत्र में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व कुल 80 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2011 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम जलालपुर में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम जलालपुर में दिनांक 13.10.2011 को बली उर्फ बलराम को गांव के ही बचुली उर्फ हवलदार, राघवेन्द्र सिंह, कल्लू सिंह व चुन्नु सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक के भाई दादू पुत्र जागेश्वर की तहरीर पर थाना बबेरु पर मु0अ0सं0 264/11 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन व0उ0नि0 श्री कैलाश कुशवाहा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री देवदत्त मिश्रा** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित राजपूत** तथा **पैरोकार आरक्षी चक्रधारी** के अथक प्रयासों से सभी अभियुक्तों को **मा0 न्यायालय ADJ-V बांदा द्वारा आजीवन कारावास व कुल 80 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. बचुली उर्फ हवलदार सिंह पुत्र जगनायक सिंह निवासी जलालपुर थाना बबेरु जनपद बांदा।
2. राघवेन्द्र उर्फ बउवा सिंह पुत्र जगनायक सिंह निवासी जलालपुर थाना बबेरु जनपद बांदा।
3. कल्लू सिंह पुत्र जगनायक सिंह निवासी जलालपुर थाना बबेरु जनपद बांदा।
4. चुन्नु सिंह पुत्र यदुराज सिंह निवासी जलालपुर थाना बबेरु जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री देवदत्त मिश्रा

विवेचक
व0उ0नि0 श्री कैलाश कुशवाहा

कोर्ट मोहर्रिर
आ0 अमित राजपूत

पैरोकार
आ0 चक्रधारी